

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-208/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० कुमारी अनामिका, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से प्रथम सतान हेतु कुल-180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

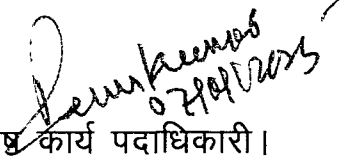
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-208/2024 - 15(17) पटना, दिनांक :- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, वैशाली (हाजीपुर)/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, वैशाली (हाजीपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० कुमारी अनामिका, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।